<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या</u>

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ...... एच०जे०एस०

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 545/2026</u>

<u>[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1140/2026]</u>

<u>[CNR No. UPFZ010033562026]</u>

रिंकी पत्नी कृष्णा खरवार, निवासी साहेब टोला बिहिया, थाना बिहिया, जनपद भोजपुर, बिहार।

....प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .... विपक्षी

---

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 545/2026, मुकदमा अपराध संख्या 246/2026, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 3(5) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली रूदौली, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी फंसाया गया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। वह दिनांक 20.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। उसके कब्जे से अथवा उसकी निशांदेही पर किसी भी प्रकार से कोई चोरी की सम्पत्ति की बरामदगी नहीं हुई है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा अफसाना बानो का यह कथन है कि दिनांक 18.05.2026 को वादिनी ससुराल से मायके आ रही थी कि जैसे ही भेलसर में गाड़ी का किराया देने के लिये पर्स को खोला तो देखा कि बैग में रखे हुये एक जोड़ी

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.07.04 17:11:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चांदी की पायल, गले की सोने की चेन, सोने की अंगूठी नहीं थी। वादिनी को बगल बैठी महिलाओं पर शक हुआ, लेकिन जैसे ही उससे पूछना चाहा तो वे मौके से भाग गयी।

8. वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली रूदौली, जनपद अयोध्या में अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 303(2) भा०न्या०सं० में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता एवं अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाना तथा उनके कब्जे से प्रकरण से सम्बन्धित एवं अन्य अभियोग से सम्बन्धित माल मुकदमा बरामद होना अभिकथित है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के संस्वीकृति बयान के आधार पर उसे इस मामले में आलिप्त किये जाने का कथन किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता दिनांक 20.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 545/2026, मुकदमा अपराध संख्या 246/2026, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 3(5) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली रूदौली, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उसके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 04.07.2026